न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27 / 2023

अपीलांट – *__बनाम__* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट –

1. रामाराम पुत्र उमेदाराम
2. लालाराम पुत्र उमेदाराम
3. इमियो पत्नि उमेदाराम
4. मेहाराम पुत्र रूगाराम
5. विशनाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला (जाखड़ो की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर

__बनाम__

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. पाबूराम पुत्र बनाराम
3. भारूराम पुत्र बनाराम
4. धर्माराम पुत्र भेराराम
5. पदमाराम पुत्र भेराराम
6. गेहरो पत्नि भेराराम
7. लेहरो पत्नि गुमनाराम
8. रामाराम पुत्र गुमनाराम
9. अनाराम पुत्र गुमनाराम
10. मदाराम पुत्र गुमनाराम
11. रूखी पत्नि जेहाराम
12. भोमाराम पुत्र जेहाराम
13. खींयाराम पुत्र आसूराम
14. भेराराम पुत्र आसूराम
15. गुमनी पत्नि आसूराम
16. अचलाराम पुत्र चूनाराम
17. केसी पत्नि चूनाराम
18. केसी पुत्री जेहाराम
19. मालू पुत्री जेहाराम
20. मगाराम पुत्र गंगाराम
21. धर्माराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला (जाखड़ो की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर
22. शाखा प्रबंधक, पीएनबी बैंक, बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 03 दिनांक 03.05.2023 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो. संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।
3. रेस्पो. संख्या 2 से 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक : 07.10.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 03 दिनांक 03.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा अणदे का तला के खेत खसरा नंबर 576, 633, 634, 635 रकबा 47–0082 हैक्टेयर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर भूमि के खातेदारान पाबुराम भारूराम पि0 बनाराम, धर्माराम पदमाराम पि0 भैराराम, गेहरो पत्नी भैराराम, लेहरो पत्नी गुमना, रामा अना मदा पि0 गुमना, रूखी देवी पत्नी जेहाराम, भोमाराम वल्द जेहाराम, खीयाराम भेराराम पि0 आसूराम, गुमनी पत्नी आसूराम, अचलाराम वल्द चूनाराम, केसी पत्नी चूनाराम, केसी मालू पुत्रियां जेहाराम, मगाराम धर्माराम माता धुड़ी पत्नि गंगाराम, लालाराम रामाराम पि0 उमेदा, इमियों पत्नी उमेदा, मेहा विशना पि0 रूगा कौम जाट निवासी अणदे का तला सा0 देह जिला बाड़मेर खातेदारान ने दिनांक 02.05.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। हल्का पटवारी हाथीतला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 03 दिनांक 03.05.2023 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 2 से 21 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी संयुक्त खोतदारी की पैतृक भूमि तहसील बाड़मेर के ग्राम अणदे का तला के खसरा नंबर 576, 533, 634, 635

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिसमें खेत खसरा नंबर 634, 633 में अपीलांट्स की ढाणीयां आई हुई है। इन्ही खसरों की भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा–काश्त है तथा विभाजन आवेदन तैयार करते समय यही बताया कि अपीलांट्स की ढाणी एवं भूमि के उपजाउपन के अनुसार कब्जे–काश्त की भूमि अपीलांट्स को दी जायेगी तथा शेष सह–खातेदार उतरदाता संख्या 2 से 21 को भी उनके भौतिक कब्जे व ढाणी अनुसार भूमि दी जायेगी। इस विभाजन आदेश का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया तथा आराजी के लट्ठाट्रेस (नक्शा) में हल्का पटवारी ने तरमीम अपने स्तर पर कर दी। यह तरमीम करने से पूर्व पटवारी हल्का अथवा निरीक्षक मौके पर भूमि की सर्वे करने हेतु नहीं आये थे, इस कारण अपीलांट्स को ज्ञान नही हुआ कि तरमीम कब हुई। उक्त आराजी के विभाजन के समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर से ढाणी व कब्जे–काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं होने से वर्तमान मे विवाद बढ गया है तथा उक्त खसरा का विभाजन अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य ढाणी एवं कब्जे–काश्त के अनुसार भूमि के उपजाउपन के अनुसार विभाजित किये जाने का अनुतोष चाहते है। पक्षकारान के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब उतरदातागण द्वारा हल्का पटवारी को लेकर आये तथा उपलब्ध नक्शे के अनुसार पेमाईश कर बताया कि अपीलांट्स की ढाणी इस तरमीम से उतरदाता संख्या 02 से 21 के मौजूदा खसरा नंबर 915/634 के भीतर भूमि के लगती हैं और उतरदातागण द्वारा अपीलांट्स की ढाणी हटाने की धमकी दी गई। तब अपीलांट्स को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तथा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 09.07.2023 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर म[illegible] करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पो. संख्या 2 से 22 बावजूद सूचना अनुप[illegible] रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन विभाजन पत्र के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा अणदे का तला के खेत खसरा नंबर 576, 633, 634, 635 रकबा 47–0082 हैक्टेयर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर भूमि के खातेदारान पाबुराम भारूराम पि0 बनाराम, धर्माराम पदमाराम पि0 भैराराम, गेहरो पत्नी भैराराम, लेहरो पत्नी गुमना, रामा अना मदा पि0 गुमना, रूखी देवी पत्नी जेहाराम, भोमाराम वल्द जेहाराम, खीयाराम भेराराम पि0 आसूराम, गुमनी पत्नी आसूराम, अचलाराम वल्द चूनाराम, केसी पत्नी चूनाराम, केसी मालू पुत्रियां जेहाराम, मगाराम धर्माराम माता धुड़ी पत्नि गंगाराम, लालाराम रामाराम पि0 उमेदा, इमियों पत्नी उमेदा, मेहा विशना पि0 रूगा कौम जाट निवासी अणदे का तला सा0 देह जिला बाड़मेर खातेदारान ने दिनांक 02.05.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। हल्का पटवारी हाथीतला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 03 दिनांक 03.05.2023 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का अभिकथन है कि अपीलांट्स की ढाणी एवं कब्जे–काश्त व भूमि के उपजाउपन भूमि उतरदातागण के हिस्से में चली गई जिससे उक्त विभाजन भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण में अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने के अभिकथन की जांच हेतु तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार [illegible] बाड़मेर के विभाजित खसरा नंबर 576, 633, 634, 635 [illegible] भूमि का खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से कृषि जोत का [illegible] जिसका रेकर्ड में अमलदरामद होने के पश्चात संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं वर्तमान त[illegible]न की स्थिति संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' है। मौके जांच करने पर पाया गया कि संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' मे अपीलांट लालाराम के पक्के मकान की नीवे भरी हुई है तथा परिशिष्ट 'ब' मे रेस्पोडेन्ट रामाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गुमनाराम का रहवासी मकान बना हुआ है। वर्तमान तरमीम की स्थिति के अनुसार परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' दोनो प्रभावित हो रहे है। खसरा नंबर 633 मे तीन चार रहवासी पक्के मकान बने हुए है एवं खसरा नंबर 633 में तरमीम तथा रास्ते की गलत तरमीम से अपीलांट लालाराम तथा रेस्पोडेन्ट भोमाराम वगैरा दोनो पक्षों के पक्के मकान परस्पर प्रभावित हो रहे है। खसरा नंबर 633 मे रहवासी ढाणी एवं रास्ते की तरमीम गलत होने तथा खसरा नंबर 634 में डामर सड़क तथा खसरे के मोड़ के पास पेटे की जमीन में दोनो पक्षों के बीच समान चौडाई का वितरण नहीं होने से अपीलांट्स को नुकसान हो रहा है। दोनो पक्षों के पक्के मकान, नीवें व कब्जा काश्त परस्पर प्रभावित होने से आपस में विवाद चल रहा है। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 03 दिनांक 03.05.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested